(वाद संख्या–4124/16)

26.07.2019

परिवादी, बबीता सिंह, अपने पति तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पारू, श्री सुनील कुमार सिंह के साथ उपस्थित हैं।

परिवादी व उसके पति को सुना।

आयोग के दिनांक–25.02.2019 के आदेषानुसार, जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से मांगा गया अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

प्रस्तुत मामला प्रखण्ड विकास कार्यालय, पारू में दिनांक–20.08.2011 से दिनांक–29.05.2014 तथा पुनः 01.09.2014 से दिनांक–10.09.2014 तक परिवादी के पति, श्री सुनील कुमार सिंह के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पारू के पद पर पदस्थापन अवधि में **रोकड़–बही में 14,56,79,537 रुपये का अन्तर रहने का** उल्लेख परिवादी के पति के अंतिम वेतन प्रमाण में किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत मामला तत्कालीन प्रखण्ड नाजीर, श्री बालेष्वर प्रसाद लाल, के बिना प्रखण्ड नाजीर, पारू को प्रभार सौंपे अपने नव पदस्थापन स्थान पर योगदान देने के कारण उत्पन्न हुआ है। उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक–07.10.2016 को प्रखण्ड नजारत, पारू के रोकड़–बही की जाँच जिला लोक पदाधिकाी, मुजफ्फरपुर सें करवाई गई। जाँच–प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि, जाँच करते समय उन्हें कुल–47 सहायक रोकड़–बहियों में से मात्र 18 सहायक रोकड़–बही ही उपलब्ध कराया गया। उनका भी कथन है कि दिनांक–16.08.2013 को सिर्फ एक सहायक रोकड़–बही (इंदिरा आवास योजना) से संबंधित बैंक पंजी को आधार मानकर रोकड़–पंजी का संचालन किये जाने लगा तथा शेष 46 रोकड़–पंजी की राशि को शून्य माना गया। उनका आगे कथन है कि इसी कारण से दिनांक–15.07.2013 से लेकर दिनांक–16.08.2013 के अन्तर राशि के अंतः शेष में से 14,56,79,537 रुपये का अन्तर पाया गया है। जिला लेखा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के जाँच–प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि जाँच के समय प्रखण्ड नाजीर के प्रभारी द्वारा समस्त सभी रोकड़–बहियों को जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को यह निर्देश दिया जाता है कि बिना प्रभार सौंपे अपने नव पदस्थापन स्थान पर योगदान करने वाले तत्कालीन प्रखण्ड नाजीर, बालेश्वर प्रसाद लाल, जिनके विरूद्ध परिवादी के पति द्वारा उक्त के संबंध में भा0द0स0 की धाराएँ, 406/409के अन्तर्गत पारू थाना कांड सं0–183/13, दिनांक–21.11.2013 संस्थित किया गया है, के उपस्थिति में/या दो जिम्मेदार पदाधिकारियों के उपस्थिति में प्रखण्ड कार्यालय, पारू के सभी 47 सहायक रोकड़–बहियों की जाँच कर दिनांक–22.08.2019 के पूर्व एक विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया जाय कि क्या परिवादी के पति के पदस्थापन अवधि में प्रखण्ड कार्यालय, पारू में कोई

सरकारी राशि का गबन किया गया है अथवा नहीं ? तथा अगर किया गया है तो इसमें परिवादी की पति की संलिप्तता/भूमिका रही है अथवा नहीं ?

आज परिवादी तथा परिवादी के पति, श्री सुनील कुमार सिंह, की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें अलग से सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त तिथि को परिवादी या तो स्वयं या अपने पति के साथ उपस्थित रह सकती है।

संचिका दिनांक–29.08.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक